कार्यालय–नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

सूचना/विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 207/इन्फ्रासेल दिनांकित 10.02.2016 में दिये गये निर्देशो एवं माननीय जिला जज के आदेश दिनांक 19.02.2016 के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई के कालपी रोड स्थित राजकीय आवास (सेशन्स हाउस) के चारो ओर की निर्मित पुरानी वाउण्डरी वॉल, के तोड़े जाने से प्राप्त (निकले) मलवे की नीलामी की जानी है। नीलामी दिनांक 22.04.2016 को समय अपरान्ह 04:00 बजे जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई के मीटिंग हाल में सम्पन्न होगी। मलवे का विवरण निम्नलिखित है–

01- Qty of Brick Bats= 101.96x70%	= 71.37 Cum
02- Nos. of Bricks=(101.96x20%)	= 20.39 Cum x 460= 9380 Nos
03- Nil (Use less)= 101-96x10%	= 10.19 Cum

उक्त मलवे की न्यूनतम धनराशि मु0 1,07,054=00 रू0 (एक लाख सात हजार चउवन रू0 मात्र) है।

इक्छुक व्यक्ति उपरोक्त निकले मलवे की बोली लगाकर लाभ उठाये। धरोहर की राशि प्रत्येक बोली कर्ता द्वारा बोली बोलने के पूर्व, अमीन सिविल कोर्ट उरई के पास जमा करनी होगी। प्रत्येक बोलीकर्ता व्यक्ति की धरोहर राशि मु0 5000=00 रू0(पांच हजार रू0 मात्र) जमा रहेगी। अधिक्तम बोली बोलने वाले व्यक्ति की धरोहर राशि को छोड़कर शेष बोली कर्ताओ की धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के बाद वापिस होगी। नीलामी समाप्त होने पर अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त नजारत, जनपद न्यायालय उरई में जमा करनी होगी। नीलामी के बावत अनुबन्ध पत्र निर्धारित स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा।

(क) बोली बोलने वाले व्यक्ति बकायादार एवं काली सूची के अर्न्तगत न आता हो।

(ख) बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला जज, जालौन स्थान उरई को सुरक्षित रहेगा।

(ग) बोली बोलने बाले व्यक्ति के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही लम्बित हो। इस तथ्य का शपथ पत्र प्रत्येक बोलीकर्ता को बोली बोलने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त नीलामी की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेवसाइट **" www.allahabadhighcourt.in"** व जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई की वेबसाइट **" ecourts.gov.in/jalaun"** पर भी उपलब्ध है।

दिनांकः–

(श्रीनाथ सिंह)
अध्यक्ष
नीलामी समिति
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

प्रतिलिपि सेवा में:–

1. कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
2. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0, उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4 अमीन सिविल कोर्ट को तुरन्त मुनादी एवं विस्तृत प्रचार एवं प्रसार कराने हेतु।
5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जजशिप उरई को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
6. दैनिक कर्मयुग प्रकाश उरई को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. जनपद न्यायालय हमीरपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. जनपद न्यायालय कानपुर देहात के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. जनपद न्यायालय कानपुर शहर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेत।
10. जनपद झांसी न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेत।
11. बाह्य स्थित न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
12. जिला सूचना अधिकारी, जालौन स्थान उरई को निःशुल्क प्रचार प्रसार करवाने हेतु।
13. श्रीमान् ओ0एस0डी0 (कम्प्यूटरर्स) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को माननीय उच्च न्यायालय की बेबसाईट पर सूचना को प्रदर्शित कराये जाने के अनुरोध सहित।
14. कम्प्यूटर अनुभाग जिला जजी उरई को जनपद न्यायालय उरई की बेबसाईट पर प्रदर्शित करवाये जाने हेतु।

दिनांकः– 07/04/16

(श्रीनाथ सिंह)
अध्यक्ष
नीलामी समिति
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।